



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

130-2026/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2026 (BHADRA 4, 1948 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 26th August, 2026

No. 15-HLA of 2026/101/14705.— The Haryana Village Common Lands (Regulation) Amendment Bill, 2026 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 15- HLA of 2026

A

BILL

further to amend the Haryana Village Common Lands (Regulation) Act, 1961.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

- | | |
|--|--|
| <p>1. (1) This Act may be called the Haryana Village Common Lands (Regulation) Amendment Act, 2026.</p> <p>(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 3rd July, 2026.</p> | <p>Short title and commencement.</p> |
| <p>2. In sub-section (1A) of section 5A of the Haryana Village Common Lands (Regulation) Act, 1961, for the words and sign “Director, Development and Panchayats Department”, the words “Deputy Commissioner concerned” shall be substituted.</p> | <p>Amendment of section 5A of Punjab Act 18 of 1961.</p> |
| <p>3. (1) The Haryana Village Common Lands (Regulation) Amendment Ordinance, 2026 (Haryana Ordinance No. 4 of 2026) is hereby repealed.</p> <p>(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.</p> | <p>Repeal and savings.</p> |

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under the existing provisions, the Director, Development and Panchayats is empowered to accord approval to Gram Panchayats for the sale of lands in shamilat deh to applicants who had constructed their houses on Shamilat land on or before 31st March, 2004. A large number of applications are currently pending at various levels and are awaiting approval. In order to expedite the process of granting such approvals and providing timely relief to the eligible applicants, it is considered necessary to vest the power of granting approval in the Deputy Commissioner concerned. This decentralization of authority is expected to facilitate quicker decision-making and reduce the backlog of pending cases.

Hence this Bill.

KRISHAN LAL PANWAR,
Development and Panchayats Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 26th August, 2026

DR. VIRENDER KUMAR DAHIYA,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2026 का विधेयक संख्या 15 एच.एल.ए.

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।
(2) यह 3 जुलाई, 2026 से लागू हुआ समझा जाएगा।
2. हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 5क की उप-धारा (1क) में, "निदेशक, विकास तथा पंचायत विभाग" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "सम्बद्ध उपायुक्त" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 5क का संशोधन।
3. (1) हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग ग्राम पंचायतों को उसकी शामलात देह में स्थित भूमि, ऐसे आवेदकों, जिन्होंने 31 मार्च, 2004 या उससे पहले शामलात भूमि पर अपने घर बनाए थे, को बेचने की स्वीकृति प्रदान करने के लिये अधिकृत है। अभी बड़ी संख्या में आवेदन अलग-अलग स्तरों पर स्वीकृति की प्रतीक्षा में लम्बित हैं। ऐसी स्वीकृति देने की प्रक्रिया को तेज करने और योग्य आवेदकों को समय पर राहत देने के लिए, संबंधित उपायुक्त को स्वीकृति देने का अधिकार सौंपना जरूरी समझा गया है। अधिकारों के इस विकेंद्रीकरण से तेजी से फैसले लेने में मदद मिलने और लंबित मामलों की संख्या कम होने की उम्मीद है।

अतः यह विधेयक है।

कृष्ण लाल पंवार,
विकास एवं पंचायत मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 26 अगस्त, 2026

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया,
सचिव।